न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 20/2018

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट		1. सुशील कुमार पुत्र रूलीराम अग्रवाल निवासी 1 बी 306, राहुल बिल्डिंग, मार्वेरोड़ मलाड वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 20/8/18

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के पुराने खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से नए ख.न. 285/45 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस रजिस्टर ए.डी. के तलब किया गया। एक माह से भी अधिक अवधि गुजर जाने के पश्चात भी रजिस्ट्री पुनः प्राप्त नहीं होने से नियमानुसार तामील मानी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के पुराने खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से नए ख.न. 285/45 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन जगदीश पुत्र नैनूराम ब्राहम्ण के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. दर्ज किया गया है। जिनकी पालना में ना.स. 185 दिनांक 08.04.1975 के द्वारा जगदीश को गैर खातेदार दर्ज किया गया, नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 25.06.2004 के द्वारा जगदीश को खातेदार दर्ज किया तथा उक्त आराजी को जगदीश पुत्र नैनूराम ब्राहम्ण ने अप्रार्थी सुशील कुमार अग्रवाल को जरिये पंजीयन दस्तावेज दिनांक 26.02.2008 बैचाण कर दिया जिनका एक नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 21.04.2008 को सरपंच कलाली के द्वारा स्वीकृत किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत किस्म गै.मु. नदी प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 08.04.1975 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 25.06.2004 तथा नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 21.04.2008 भरा गया जिसको भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285 किस्म

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

गै.मु. नदी में से ख.न. 285/45 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन जगदीश पुत्र नैनूराम ब्राहम्ण के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. दर्ज किया गया है। जिनकी पालना में ना.स. 188 दिनांक 08.04.1975 के द्वारा जगदीश को गै.खा. दर्ज कर किया गया, ना.स. 548 दिनांक 25.06.2004 के द्वारा जगदीश का खातेदार दर्ज किया उक्त आराज़ी को जगदीश पुत्र नैनूराम ब्राहम्ण ने अप्रार्थी सुशीलकुमार अग्रवाल को जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 26.02.2008 को बैचाण कर दिया जिनका ना.स. 503 दिनांक 21.04.2008 को सरपंच कलाली के द्वारा स्वीकृत किया गया। लेकिन प्रार्थी तहसीलदार रोहट ने अपने प्रार्थना पत्र में मूल आवंटी जगदीश पुत्र नैनुराम को पक्षकार नहीं बनाकर केवल क्रेता वर्तमान खातेदार को ही पक्षकार बनाया है जबकि मूल आवंटी जगदीश को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक है। भूमिधारी द्वारा मूल आवंटी को पक्षकार न बनाकर उसे अप्रत्यक्ष रूप से भारी विधिक लापरवाही बरती है, प्रार्थना पत्र के संलग्न आवंटन फॉर्म पूर्ण भरा हुआ नहीं है व उस पर आवंटी एवं साक्षी के हस्ताक्षर भी नहीं है। उक्त सभी पूर्ति किए बिना व उसे बिना सूने जैर प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट को निर्णय की प्रति नए सिरे से समस्त पूर्तियों को करते हुए 15 दिवसों के भीतर प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने हेतु प्रेषित किया जावे। पत्रावली इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
पाली (राज.)